1	2	3		4	
13.	Jails	4,38,000	..	4,37,000	..
14.	Stationery and Printing	25,86,000	..	25,85,000	..
15.	Retirement Benefits	53,49,000	..	53,49,000	..
16.	Public Works	3,38,00,000	2,87,96,000	3,37,99,000	2,87,95,000
17.	Education	5,68,30,000	20,000	5,68,29,000	20,000
18.	Medical	2,74,92,000	..	2,74,91,000	..
19.	Information and Publicity	24,04,000	..	24,04,000	..
20.	Labour and Employment	29,34,000	..	29,34,000	..
21.	Social Welfare	1,72,82,000	..	1,72,82,000	..
22.	Co-operation	53,14,000	66,04,000	53,13,000	66,04,000
23.	Statistics	6,01,000	..	6,01,000	..
24.	Agriculture	1,20,99,000	1,34,000	1,20,98,000	1,34,000
25.	Animal Husbandry	35,88,000	..	35,87,000	..
26.	Fisheries	40,88,000	26,87,000	40,87,000	26,86,000
27.	Community Development	13,45,000	6,00,000	13,45,000	6,00,000
28.	Industries	56,79,000	30,00,000	56,79,000	30,00,000
29.	Electricity	3,54,38,000	3,52,01,000	3,54,38,000	3,52,01,000
30.	Ports and Pilotage	4,72,000	12,50,000	4,72,000	12,50,000
31.	Loans to Government Servants	..	65,44,000	..	65,44,000

PONDICHERRY APPROPRIATION (NO. 2) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.M. KRISHNA) : I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Pondicherry for the services of the financial year 1984-85.

*Published in the Gazette of India Extraordinary Pt. II Section 2, dated 2.8.1984.

MR. CHAIRMAN (SHRI F.H. MOHSIN) : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Pondicherry for the services of the financial year 1984-85."

The Motion was adopted.

SHRI S.M. KRISHNA : I introduce the Bill.

I beg to move :**

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Pondicherry for the services of the financial year 1984-85, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Pondicherry for the services of the financial year 1984-85, be taken into consideration."

Shri Ramavatar Shastri.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, स्वतन्त्रता-सेनानियों के मसलों से आपका भी सम्बन्ध बहुत दिनों तक रहा है। अभी मंत्री महोदय ने जो जबाव दिया है, वह संतोषजनक नहीं है। वर्षों से इसी तरह के जबाव दिए जा रहे हैं। पांडिचेरी के स्वतन्त्रता-सेनानी, और देश के स्वतंत्रता-सेनानी, दिन-पर-दिन मरते जा रहे हैं, क्योंकि वे सब बूढ़े हैं। कोई नौजवान स्वतंत्रता-सेनानी नहीं हो सकता। उनमें 55-60 वर्ष से कम कोई नहीं होगा।

प्रो० सत्यदेव सिंह : उनको बचाने का नुस्खा बताइए।

श्री रामावतार शास्त्री : उनको बचाने का नुस्खा ही मैं बता रहा हूं। माननीय सदस्य ने गांधी टोपी पहनी हुई है, लेकिन उस जमाने में इनका पता नहीं था।

प्रो० सत्यदेव सिंह : इसमें मेरा क्या दोष है ?

श्री रामावतार शास्त्री : दोष यह है कि वह टोक रहे हैं। अभी भी चार लाख स्वतन्त्रता-सेनानी जिन्दा हैं, जिनमें से 1.27 लाख को स्वतंत्रता-सेनानी सम्मान पेन्शन मिल रही है, जिसकी राशि 300 रुपए है। महंगाई शैतान की आंत की तरह बढ़ रही है, लेकिन स्वतन्त्रता-सेनानियों को उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। जो लोग सक्षम हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी और दूसरे लोग, वे संगठित आन्दोलन करके सरकार से अपनी मांगें मंगवा लेते हैं। अब लगता है कि इन बूढ़े लोगों को भी आन्दोलन करना पड़ेगा। या इनको भी अन्त में आपके शासन में भी जेल जाना पड़े। तो बढ़ाने की बात तो अलग रही। आपको उनकी पेंशन बढ़ानी चाहिए। आपके वित्त मंत्रीजी पिछली बार बोले, इसी सदन में वह वायदा कर चुके हैं कि 300 रुपए की पेंशन की राशि को बढ़ाने की बात पर विचार हो रहा है। लेकिन आज तक नहीं हुआ। अब हम लोगों के पास स्वतन्त्रता सेनानी लोग बेचारे मर्माहत होकर चिट्ठी लिखते हैं कि क्या हुआ उस वादे का ? वह वायदा तो आपने अभी तक पूरा नहीं किया, आगे क्या कीजिएगा, पता नहीं।

अभी गैर-सरकारी स्वतन्त्रता-सेनानी सलाहकार समिति की बैठक हुई थी इसी जुलाई में। उसने सरकार के पास सिफारिश भेजी है कि इस राशि को बढ़ाकर पांच सौ तक तो सरकार कर ही दे। तो यह तो अलग मसला है।

अभी हम पांडिचेरी के स्वतन्त्रता-सेनानियों का मसला उठाना चाहते हैं। उनको भारत सरकार भी पेंशन नहीं दे रही है और वह कहते हैं, जैसे आपने कहा कि वह एग्जाइल में चले गए थे। तो वह अपने मन से तो नहीं चले गए। स्वतन्त्रता

**Introduced/moved with the recommendation of the President.

[श्री रामावतार शास्त्री]

सेनानी की हैसियत से देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के लिए गए थे। फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों ने उनको वहां से भागने को मजबूर किया। फिर कभी कह दिया जाता है कि यह तो राजनीतिक मसला नहीं था। तो वह क्या था? उस समय फ्रेंच साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना या गोवा में पुर्तगाली साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना क्या स्वतन्त्रता आन्दोलन का हिस्सा नहीं था? आप मानते हैं कि हिस्सा था। गोवा में स्वतन्त्रता सेनानियों को आप पेंशन दे रहे हैं। वह भी एग्जाइल में थे। वह लोग भी दूसरी जगह चले गए थे पुर्तगाली साम्राज्यवाद के दमन चक्र से बचने के लिए और अपने आन्दोलन को जारी रखने के लिए वह बाहर चले गए। फिर उसी तरह से पांडिचेरी के लोग भी चले गए। तो पांडिचेरी के लोगों को सिंगिल आउट करके किसी न किसी बहाने क्यों तंग और तबाह किया जा रहा है? अभी एक कमेटी बनी है, स्वतंत्रता सेनानी परामर्शदात्री समिति की मीटिंग की सिफारिश के मुताबिक एक अधिकारियों की कमेटी बनी है। इस कमेटी को बने हुए भी बहुत दिन हो गए। कहा गया कि उनके केसेज को सार्ट आउट किया जाएगा। अभी तक तो नहीं किया। वहां के लोग हम लोगों के पास चिट्ठियां और दरखवास्तें भेजते हैं। हम लोग भी उसको गृह मंत्री जी के पास भेजते हैं। लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता। तो मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अब देर मत कीजिए। खुद ही कहते हैं कि कुछ सौ लोग हैं बचे हुए और उनमें भी बहुत से लोग दिन प्रति दिन काल कवलित होते जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर भारत सरकार को भी उन्हें पेंशन देनी चाहिए और राज्य सरकार को भी देनी चाहिए। बहुत सारी राज्य सरकारें दे रही हैं। लगभग एक दर्जन राज्य सरकारें ऐसी हैं जो अपने खजाने से उनको पेंशन दे रही हैं। तो मेरा निवेदन होगा कि भारत सरकार तो दे ही। इसमें जितना भी विलम्ब हो चुका वह क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन उसको हम भूल जाने को तैयार है अगर अभी भी आप पांडिचेरी के स्वतंत्रता सेनानियों के निवेदन को स्वीकार कर लें और उनको पेंशन यहां से भी दें और साथ-साथ पांडिचेरी में भी सरकार आप ही चला रहे हैं, वहां से भी व्यवस्था करें ताकि वहां से भी उन्हें पेंशन की राशि मिल सके जिस से इस महंगाई के समय में वह अपने बाल-बच्चों की परिवरिश कर सकें और चिकित्सा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। चिकित्सा की भी सुविधा हर जगह नहीं है। आप के यहां तो कोई केन्द्रीय कानून है ही नहीं उन के लिए। हम लोगों ने यह भी कहा कि स्वतन्त्रता सेनानियों को चिकित्सा के लिए आप सी०जी०एच०एस० की जो स्कीम है उसमें सुविधा दीजिए। मंत्री जी पता नहीं अभी भी उसमें हैं या नहीं, लेकिन वह रह चुके हैं, तो उनको उसमें चिकित्सा की सुविधा दीजिए। न चिकित्सा की सुविधा है, न पेंशन दे रहे हैं, न भारत सरकार पेंशन दे रही है न राज्य सरकार दे रही है तो बेचारे जाएं कहां? इसलिए मेरा निवेदन है कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाय और अब और देर न करके यथाशीघ्र उनके पेंशन की व्यवस्था दोनों जगहों से करवाइये, उन की चिकित्सा की व्यवस्था भी करवाइए। जितना ही वह जिन्दा रहेंगे वह नौजवानों को प्रेरित करते रहेंगे कि इन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व लगाया है और देश को आजाद किया है तभी यह पार्लियामेंट भी चल रही है, असेम्बलियां भी चल रही हैं, मिनिस्टर भी हैं और हम लोग भी हैं। इसलिए उनको भुलाइए नहीं, उनके लिए यथाशीघ्र उपाय कीजिए।

MR. CHAIRMAN: Do you want to say anything more?

SHRI S.M. KRISHNA: I have already touched upon all these points in the course of my reply. The thrust of Shri Ramavatar Shastri's plea is that the freedom fighters have got to be taken care of and he wanted the pension amount to be increased. These are questions which are being looked into. I had earlier stated that about 400 to 500 freedom fighters' pension cases have already been cleared and the case regarding the rest of them will be looked into.

MR. CHAIRMAN : Are they getting Central Government pension ?

SHRI S.M. KRISHNA : They are getting Rs. 100/- Sir.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : That is a State pension.

SHRI S.M. KRISHNA : Mr. Chairman, I am talking only about the State pension.

MR. CHAIRMAN : The question is :

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Pondicherry for the services of the financial year 1984-85 be taken into consideration."

The Motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now we take up Clause by Clause consideration.

The question is :

> "The Clauses 2 and 3 and the Schedule stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI S.M. KRISHNA : Sir, I beg to move :

> "That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is :

> "That the Bill be passed."

The Motion was adopted.

16.00 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1984-85

MR. CHAIRMAN : The House will now take the Discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 1984-85.

Motion moved :

> "That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1985 in respect of the following demands entered in the second column thereof.

Demand Nos. 1, 2, 5, 9, 11, 12, 25, 28, 29, 31, 39, 43, 46, 53, 62, 63, 66, 67, 70, 76, 79, 80, 83, 86, 89, 90, 91, 96, 99, and 108".

Supplementary Demands for Grants (General) for 1984-85 submitted to the Vote of the Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant submitted to the Vote of the House	
1	2	3	
		Revenue Rs.	Capital Rs.
	Ministry of Agriculture		
	1-Department of Agriculture and Co-operation	1,00,000	..